महत्वपूर्ण

संख्याः20/2015/यू0ओ0-445/अड़तीस-5-2015-01सम/2015

प्रेषक,

राम वहादुर,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-5 लखनऊः दिनांक 18 जून, 2015

विषयः- मुख्यमंत्री जल बचाओ अभियान योजना का क्रियान्वयन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-242/ अड़तीस-5-2015-01सम/2015, दिनांक 06 अप्रैल,2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इसके अन्तर्गत प्रत्येक जनपद में भूजल के संरक्षण एवं वर्षा जल संचयन हेतु अतिदोहित/ क्रिटिकल/सेमी क्रिटिकल विकास खण्डों के अन्तर्गत तालावों, पोखरों, झीलों तथा अन्य प्राकृतिक जल स्रोतों के पुनरोद्धार हेतु उन्हें चिन्हित करते हुये यथा निर्देश कार्यवाही की जानी है।

2- अवगत कराना है कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत सस्टेनविलिटी मद से परियोजनाओं के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में भारत सरकार से निर्गत दिशा-निर्देश के क्रम में ग्राम्य विकास अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-जी0आई0-15/ अड़तीस-5-2015-08सम/2014, दिनांक 20 जनवरी, 2015 द्वारा सस्टेनविलिटी मद एवं मनरेगा कनवरजेन्स से कराये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।

3- इस सम्बन्ध में उपरोक्त शासनादेश के अनुसार सस्टेनविलिटी मद से कराये जाने वाले कार्यो को पुनः स्पष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश की अपेक्षानुसार अतिदोहित/ क्रिटिकल/सेमी क्रिटिकल विकास खण्डों में एक हेक्टेयर से बड़े तालावों, पोखरों, झीलों तथा अन्य प्राकृतिक जल स्रोतों के पुनरोद्धार, रख-रखाव एवं सौन्दर्यीकरण आदि के साथ ही भूजल संरक्षण एवं वर्षा जल संचयन सम्बन्धी कार्यो सम्बन्धी परियोजना के अन्तर्गत केवल मैटेरियल कम्पोनेन्ट पर होने वाला व्यय राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के सस्टेनविलिटी मद से वहन किया जायेगा तथा लेबर कम्पोनेन्ट सम्बन्धी व्यय मनरेगा/ इन्टीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेन्ट कार्यक्रम के फण्ड से कराये जायेंगे।

4- कृपया तदनुसार अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(राम वहादुर)
सचिव।

संख्या-20/2015/यू0ओ0-445(1)/अड़तीस -5-2015, तदद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- मुख्य स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ।
5- अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
6- प्रवन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- प्रवन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कार्पोरेशन लि0, लखनऊ।

आज्ञा से,
(राम वहादुर)
सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।